न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण स. 223/2019

उनवान

रामलाल पुत्र भागूता जाति कुमावत निवासी ग्राम पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादी

2. कानाराम पुत्र भागूता जाति कुमावत निवासी ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर ।

प्रफॉर्मा प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 209,राज.136एल.आर.एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक–16.11.2021

तहसीलदार सावर द्वारा प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प पिपलाज में प्रस्तुत किया । सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पिपलाज की जमाबन्दी स0 2077–76 के खाता स. नया–पुराना 666–603 किता 7 रकबा 0.97 है. काना पुत्र भागूता 1/3 रामकवरी पत्नि भागूता 1/3 जाति कुमावत साकिन देह के नाम दर्ज है। वादी का नाम रामलाल पुत्र भागूता सहखातेदार के साथ दर्ज है। वादी रामलाल प्रफॉर्मा प्रतिवादी कानाराम व उनकी माता रामकंवरी पत्नि भागूता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रामकंवरी पत्नि भागूता का देहान्त हो गया है। मृतक रामकंवरी के वादी रामलाल व प्रफॉर्मा प्रतिवादी कानाराम ही वारिस है। आराजीयात वादी /प्रफॉर्मा प्रतिवादी कानाराम के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में आ रही है। वादी रामलाल का नाम रामलाल के स्थान पर रामपाल दर्ज कर दिया है। जो कतई गलत है जिसे दूरस्त किया जाकर रामलाल किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पिपलाल में रामपाल पुत्र भागुता कुमावत नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वादी को वाद पेश करने का मूल कारण दिनांक 05.05.2019 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब राजस्व रिकॉर्ड देखा। रामपाल पुत्र भागुता के स्थान पर रामलाल पुत्र भागुता किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने की वजह दर्ज रजिस्टर किया गया। सिविल प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत पिपलाज से रिपोर्ट ली गई। ग्राम पंचायत पिपलाज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रामलाल पुत्र भागुता जाति कुमावत निवासी पिपलाज है। इनको रामपाल के नाम से भी जाना जाता है। रामलाल व रामपाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी ने आधार कार्ड,जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न पत्रावली है। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की परिधि में आता है। नाम दुरस्त करवाने से संबंधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और ग्राम पिपलाज की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नया–पुरा 666–603 किता 7 रकबा 0.97 है. में संयुक्त खातेदारों के साथ प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र भागुता दर्ज किया गया है के स्थान रामलाल पुत्र भागुता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सावर को दिये जाते है। तहसीलदार सावर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मजमे आम प्रशासन गांवों के संग शिविर पिपलाज में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं शिविर प्रभारी केकड़ी,

Scanned with CamScanner